न्यायालय नायब तहसीलदार ....चीलवा.... (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का ....झालरा

बनाम

अप्रार्थी :– श्री जवानाराम/किशनाराम जाट निवासी सांटपुर अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या ...21.../...2018

निर्णय — दिनांक 29.5.18

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का झालरा ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत .... में सरहद .... के खसरा नम्बर 232 मी. किस्म गै.मु. रास्ता में रकबा 0.0005 बीघा भूमि में पक्की दीवार बनाकर शामिल कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ....—.... से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री ....—.....ने दिनांक ....—.......... को उपस्थित होकर ....—.......... प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया ।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी का मौजा सांटपुर के खसरा नम्बर 232 किस्म गै. मु. रास्ता में रकबा 0.0005 बीघा की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिकमी घोषित किया जाता है।

अत : अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिकमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6........ रूपये प्रति बीघा की दर से अतिकमित रकबा 0.0005 बीघा भूमि के 0.003 रूपये लगान का 50 गुणा 1.00 ...../– अक्षरे ..एक........ रूपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 29.5.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार चीलवा